राजस्थान सरकार
आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur-302015, rajasthan
Website: http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/
E-mail: jdacad1960@gmail.com Ph. 0141-2706550

International Year of Cooperatives
Cooperatives Build a Better World

क्रमांकः **एफ.7(4) प्रवेश नीति/अकाद/आकाशि/2025-19470-6757218-Part File(1)** दिनांकः— हस्ताक्षर दिनांक

प्राचार्य,
समस्त राजकीय महाविद्यालय,
राजस्थान।

विषय :—सत्र 2025—26 में समस्त राजकीय महाविद्यालयों में ऑनलाईन प्रवेश नवीनीकरण प्रक्रिया की संशोधित दिनांक के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राजकीय महाविद्यालयों में स्नातक तृतीय एवं पंचम सेमेस्टर तथा स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर/उत्तरार्द्ध के ऑनलाईन प्रवेश नवीनीकरण कार्यक्रम निम्न सारणी अनुसार रहेगाः—

क.सं.	कार्य का विवरण	समयावधि
1.	स्नातक तृतीय एवं पंचम सेमेस्टर तथा स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर/उत्तरार्द्ध के लिए प्रवेश नवीनीकरण	23.10.2025 से 22.11.2025
2.	स्नातक तृतीय एवं पंचम सेमेस्टर तथा स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर/उत्तरार्द्ध के लिए ई—मित्र पर फीस जमा करवाना।	23.10.2025 से 22.11.2025

समस्त राजकीय महाविद्यालयों को स्नातक तृतीय एवं पंचम सेमेस्टर तथा स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर/उत्तरार्द्ध के लिए पूर्णतः अस्थाई प्रवेश नवीनीकरण प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी। इसके अन्तर्गत समस्त स्नातक द्वितीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर तथा स्नातकोत्तर द्वितीय सेमेस्टर/पूर्वार्द्ध के प्रवेशित विद्यार्थियों को **स्नातक द्वितीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर तथा स्नातकोत्तर द्वितीय सेमेस्टर/पूर्वार्द्ध के विद्यार्थियों की परीक्षा होने के उपरान्त अथवा संबद्धक विश्वविद्यालय के नियमानुसार ही अगले सेमेस्टर/अगली कक्षा में क्रमोन्नत किया जाना है** एवं इसे महाविद्यालय स्तर से पूर्ण करने के पश्चात विद्यार्थियों का डाटा ई—मित्र पर पोस्ट किया जायेगा। विद्यार्थियों को ई—मित्र के माध्यम से फीस जमा कराने की सुविधा उपलब्ध रहेगी। फीस जमा कराने से पूर्व विद्यार्थियों द्वारा अपना जनआधार वेरिफाई करवाना आवश्यक होगा।

समस्त प्राचार्य व्यक्तिगत रूप से यह सुनिश्चित करें कि सभी छात्रों का डेटा आवश्यक ऑनलाईन प्रक्रिया पूर्ण कर ई—मित्र पर पोस्ट हो जाये। ई—मित्र पर फीस जमा कराने से सम्बन्धित सूचनाओं को समाचार पत्र/इलेक्ट्रोनिक मीडिया /दूरभाष/सोशल मीडिया आदि के माध्यम से विद्यार्थियों को अवगत कराया जाना सुनिश्चित करें।

विद्यार्थियों का अगली कक्षा में प्रवेश पूर्णतः अस्थाई है एवं राज्य सरकार द्वारा प्रवेश सम्बन्धी लिये गये निर्णयों के अध्याधीन रहेगा।
यह भी निर्देशित किया जाता है कि प्रवेश प्रक्रिया में हुये विलम्ब के कारण शिक्षण कार्य में आये व्यवधान से कार्य दिवसों की क्षतिपूर्ति के लिए प्राचार्य अपने स्तर पर नियमानुसार अतिरिक्त कक्षाऐं लगवाकर अकादमिक सत्र में शैक्षणिक कार्य दिवस पूर्ण करवाया जाना सुनिश्चित करें।

ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया के क्रियान्वयन में होने वाली संभावित शंकाओं के सम्बन्ध में आयुक्तालय के प्रो. विवेक मण्डोत (नोडल अधिकारी—ऑनलाईन एडमिशन)/श्री बनफूल अग्रवाल से कार्यालय समय में दूरभाष नं0 (0141—2706106) या ई—मेल dce.oap@gmail.com पर सम्पर्क किया जा सकता है। यह अति महत्वपूर्ण व समयबद्व प्रक्रिया है। अतः इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करते हुए, समय सारणी अनुसार प्रक्रिया सम्पन्न करावें।

<u>यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।</u>

(प्रो. विजय सिंह जाट)
सयुंक्त निदेशक (अकादमिक)

क्रमांकः **एफ.7(4) प्रवेश नीति/अकाद/आकाशि/2025-19470-6757218-Part File(1)**
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है —

1. विशिष्ट सहायक, माननीय उप—मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. वरिष्ठ निजी सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
4. वरिष्ठ निजी सचिव, आयुक्त सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. वरिष्ठ निजी सचिव, अतिरिक्त आयुक्त, कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
6. तकनीकी निदेशक, सूचना एवं प्रौद्योगिक विभाग, जयपुर को भेजकर लेख है कि वे समस्त ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया सम्बन्धित कार्यवाही एवं ई—मित्र पर फीस जमा करवाने की सुविधा प्रदान करने के लिए आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।
7. वेब प्रभारी, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर को अपलोड करने हेतु।

सयुंक्त निदेशक (अकादमिक)

Signature valid
Digitally signed by Vijay Singh Jat
Designation : Joint Director
Date: 2025.10.21 15:43:10 IST
Reason: Approved